

डिक्री वमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 21/2022

1. जसमीत सिंह पुत्र गुरपाल सिंह जाति जटसिख साकिन चकप्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. दीप सिंह पुत्र गुरपाल सिंह जाति जटसिख साकिन चकप्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम

1. गुरपाल सिंह पुत्र अमर सिंह जाति जटसिख निवासी चकप्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. श्रीमान तहसीलदार राजस्व महोदय संगरिया तहसील संगरिया
3. श्रीमान शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा संगरिया जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री सरजोधन सिंह खोसा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री प्रवीण बेरड़ वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक नं. 7 एमजेडी खाता सं. 22/2 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 मे प्रतिवादी संख्या 1 गुरपाल सिंह पुत्र अमर सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादीगण को 1.265 है. भूमि के बहिब खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैंक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज..........नल..........मुब्लिक..........निल..........बाबत्..........निल..........खर्चा

मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.......... अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....14.2.2025.....को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
संगरिया